

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
शुद्धि पत्र संख्या – 3 /राज. राज्य एवं अधी. सेवाएं /2013–14

दिनांक : 24.06.2013

आयोग के विज्ञापन संख्या-2/विज्ञापन/परीक्षा/राज्य-अधी./2013-14 दिनांक 18.06.2013 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी, 2013 परीक्षा के पद विज्ञापित किए गए थे जिनके संबंध में यह अधिसूचित किया जाता है कि:-

- उक्त विज्ञापन में क्रम संख्या 4 के बिन्दु 1 पर उल्लिखित आयु सीमा में छूट के प्रावधान के अन्तर्गत वर्णित टिप्पणी “इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद हेतु कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देय होगी”। के स्थान पर अब इस वर्णित टिप्पणी को निम्न प्रकार से पढ़ा जावे :-

“इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2012 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2013 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद हेतु कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी”।

- इसी प्रकार विज्ञापन के क्रम संख्या 4 के छूट संबंधी प्रावधानों के नीचे वर्णित नोट-(1) में वर्णित टिप्पणी “प्रावधान संख्या 1 से 10” को अब “प्रावधान संख्या 2 से 10 पढ़ा जावे।”

- अन्य शर्तें उक्त विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेगी।

(सी.एल. दायमा)
सचिव

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 02 /2013-14

क्रमांक : विज्ञापन सं.- 02/परीक्षा/2013-14/

दिनांक : .06.2013

- आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु ॲनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं—

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के लिये कार्मिक विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु ॲनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक विज्ञापित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिए एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें :—

विशेष नोटः—

- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।
- (3) अभ्यर्थी पदों की वरीयता आवश्यक रूप से भरें। एक बार वरीयता कम भरने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

पद व विभाग	पद संख्या	आयु
राज्य सेवाएं	233	दिनांक 01.01.2014 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 35 से कम।
अधीनस्थ सेवाएं	490	आरजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 2014 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो।

शैक्षणिक योग्यता :— आवेदक केंद्र या भारत के किसी राज्य विभाग मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी शैक्षिक संस्था का उपाधि (डिग्री) धारक होना चाहिए या आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता रखता हो।

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में समिलित हुआ या समिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे मुख्य परीक्षा में समिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

स्पष्टीकरणः— यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में समिलित हुए या समिलित होने वाले हैं।

2. सेवावार रिक्त पदों का विवरण :-

राज्य सेवाएं

क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान	कुल पद
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	15600-39100 GP 5400	49
2	राजस्थान पुलिस सेवा	15600-39100 GP 5400	—
3	राजस्थान लेखा सेवा	15600-39100 GP 5400	32
4	राजस्थान सहकारी सेवा	9300-34800 GP 4200	1
5	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा	9300-34800 GP 4200	4
6	राजस्थान कारागार सेवा	9300-34800 GP 4200	3
7	राजस्थान उद्योग सेवा	9300-34800 GP 4200	5
8	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	15600-39100 GP 5400	3
9	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	9300-34800 GP 4200	39
10	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा	9300-34800 GP 4200	2
11	राजस्थान पर्यटन सेवा	9300-34800 GP 4200	7
12	राजस्थान परिवहन सेवा	9300-34800 GP 4200	2
13	राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा	15600-39100 GP 5400	13
14	राजस्थान देवरथन सेवा	9300-34800 GP 4200	2
15	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा	15600-39100 GP 5400	64
16	राजस्थान महिला विकास सेवा	15600-39100 GP 5400	7
कुल पद			233

अधीनस्थ सेवाएं

क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान	कुल पद
1	राजस्थान अधीनस्थ देवरथन सेवा	9300-34800 GP 3200	15
2	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा	9300-34800 GP 3200	—

3	राजस्थान तहसीलदार सेवा	9300-34800 GP 3600	40
4	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	13
5	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (नियोजन)	9300-34800 GP 3200	—
6	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3600	5
7	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	133
8	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	17
9	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3600	14
10	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी)	9300-34800 GP 3600	238
11	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी)	9300-34800 GP 3600	15
कुल पद			490

विशेष नोट:- अधीनस्थ सेवाओं की कम संख्या 4,5,6 एवं 7 के पदों में ही विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अतः इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी ही आवेदन करें एवं आवेदन-पत्र के कॉलम में DC (विभागीय कर्मचारी) का उल्लेख अवश्य करें। अन्य आवेदक इन पदों हेतु DC के कॉलम की पूर्ति नहीं करें।

- नोट :-** 1. शासन से रिक्त पदों का संशोधित विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।
 2. उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में समिलित हुआ हो या समिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिये पात्र होगा, किन्तु उसे मुख्य परीक्षा में समिलित होने से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।

3. अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में :-

राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा में (राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए) बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूर्ण करना चाहिए :-

- (क्र.) **अनुभव** :- दिनांक 1 जनवरी, 2014 को नियमानुसार पांच वर्ष से अन्यून सेवा, स्थानापन्न या अधिष्ठायी रूप से पूर्ण होनी चाहिए।
नोट- आवेदक को दिनांक 01.01.2014 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त है, उसका दिन, माह व वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में करें।

In filling the vacancies so reserved the candidates who are “non-gazetted employees” shall be eligible for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative marks as compared with other candidates.

If a sufficient number of candidates who are non-gazetted employees is not available for filling all the vacancies so reserved, the remaining vacancies shall be filled by appointing other candidates in the list.

4. आयु सीमा में छूट - पद कि विहित आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगी:-

- (1) इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अस्थर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकार्य के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।

- (2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है—

क्र.सं.	अस्थर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5
4.	विधवा एवं विठ्ठन विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	सामान्य	10
	पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

- नोट:-** ‘उक्त प्रावधान में दिए गए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट से सम्बन्धी प्रावधानों में तत्सम्बन्धी आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण की परिवर्तनीय स्थिति में नियमानुसार छूट देय होगी। यदि किसी वर्ग में पद आरक्षित नहीं हुए तो उस वर्ग के अस्थर्थियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।’

- (3) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।
 (4) उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।
 (5) पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive)रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
 (6) राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
 (7) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
 (8) रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयुसीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
 (9) एन.सी.सी के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
 (10) निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपरिणित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।

नोट :-

- (1) उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 1 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात् अस्थर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 10 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

- (2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।
5. परीक्षा की योजना :-

(1) **Scheme of examination:** The Combined Competitive Examination will be held in two successive stages-

- (i) Preliminary Examination, and
- (ii) Main Examination

(i) **Preliminary examination :** The Preliminary Examination will consist of one paper on the subject specified below, which will be of objective type and carry a maximum of 200 marks. The examination is meant to serve as a screening test only. The Standard of the paper will be that of a Bachelor's Degree Level. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidates, who are declared qualified for admission to Main Examination will not be counted for determining their final order of merit.

Subject	Maximum Marks	Time
General Knowledge & General Science	200	Three hours

Note : Patter of Questions Paper (For Preliminary examination) -

- 1 There will be 150 Questions in the Question Paper.
- 2 All questions will carry equal marks.
- 3 There will be Negative Marking – 1/3 part of mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. (A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.)

(ii) **Main examination:** (a) The number of candidates to be admitted to the Main Examination will be 15 times the total approximate number of vacancies (category wise) to be filled in the year in the various Services and posts but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks as may be fixed by the Commission for any lower will be admitted to the Main Examination.

(b) The written examination will consist of the following four papers which will be descriptive/analytical. A candidate must take all the papers listed below which will also consist of question paper of brief, medium long answer and descriptive type questions. The standard of General Hindi and General English will be that of Sr. Secondary level. The time allowed for each paper shall be 3 hours.

	Papers	Maximum Marks
Paper I	General Studies-I	200
Paper II	General Studies-II	200
Paper III	General Studies-III	200
Paper IV	General Hindi and General English	200

(2) **Personality and viva-voce Examination (See rule 15):-**

(i) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test of the Main Examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test which carries 100 marks.

(ii) The Commission shall award marks to each candidate interviewed by them. In interviewing the candidates besides awarding marks in respect of character, personality, address, physique, marks shall also be awarded for the candidate's knowledge of Rajasthani culture. However for selection to the Rajasthan Police Service, candidates having 'C' Certificate of N.C.C. shall be given preference. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate.

(3) **General Instructions :**

- (i) All papers shall be answered either in Hindi or in English, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and partly in English unless specifically allowed to do so.
- (ii) If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.
- (iii) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

Syllabus and scope of the papers :- The syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

6. **आवेदन तिथि – आवेदन 24 जून, 2013 से दिनांक: 31 जुलाई, 2013 रात्रि 12-00 बजे तक के मध्य भरे जा सकेंगे (इसके उपरांत लिंक निक्षिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।**
7. **परीक्षा का माह एवं स्थान-** राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के पदों की प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी। प्रारम्भिक परीक्षा राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की संभावना है। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।
8. **पाठ्यक्रम:-** इन पदों के पाठ्यक्रम अभ्यर्थी आयोग की वेब-साईट से प्राप्त कर सकते हैं।
9. **अन्य बिंदु व सूचना :-** आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग द्वारा दिनांक 01.01.13 को जारी परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश व सम्बद्ध सेवा नियमों का अध्ययन कर लें, जो आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http:// www.rpsc.rajasthan.gov.in> या rpscconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-5151212, 5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव